

## Order Sheet [Contd]

प्रक्र 05 / 15-9/22

No. of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
8-7-13	<p>परिवादी विद्युत विभाग द्वारा उपमहाप्रबंधक की ओर से सहायक यंत्री/कनिष्ठ यंत्री <u>डॉ. ए. ए. ए.</u> सहित उनके अधिवक्ता श्री <u>ए. ए. ए.</u> उपर।</p> <p>आरोपी/गण सहित/द्वारा अधि० श्री <u>गु. क. देव/वि. ए.</u> उपर/आरोपी अनुपस्थिति।</p> <p>प्रकरण नेशनल/मेगा लोक अदालत में पेश हुआ है।</p> <p>यह परिवाद विद्युत विभाग द्वारा धारा 138(1)ख विद्युत अधिनियम के तहत आरोपीपक्ष के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। इस परिवाद में आरोपी पक्ष पर धारा 138(1)ख विद्युत अधिनियम का आरोप लगाया गया है।</p> <p>उक्त परिवाद मामले में विद्युत विभाग की ओर से उक्त कार्यपालन यंत्री की ओर से सहायक यंत्री/कनिष्ठ यंत्री ने अपने अधिवक्ता सहित एक आवेदन पेश कर निवेदन किया कि इस मामले में आरोपी पक्ष के द्वारा विद्युत बिल की बकाया राशि जमा की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में लोकहित में परिवादी विद्युत विभाग यह परिवाद बढाना नहीं चाहता है, कार्यवाही समाप्त की जावे।</p> <p>सुनाया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। उक्त आवेदन के आलोक में इस नेशनल/मेगा लोकअदालत में परिवादी विद्युत विभाग का उक्त आवेदन स्वीकार किया जाता है। उक्त आरोपी का अगर जमानती/गिरफ्तारी वारंट जारी हो तो उसे अदम बुलाने हेतु पत्र अविलंब जारी हो।</p> <p>प्रकरण में कोई जप्ताशुदा सम्पत्ति नहीं है।</p> <p>परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।</p>	<p><u>गु. क. देव/वि. ए.</u></p> <p><u>महेश कुमार</u></p> <p><u>महेश कुमार</u></p>

वीरेन्द्र सिंह सिन्हा

पीठासीन अधिकारी, खण्डपीठ क्र०-18

एव विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम

गोहद, जिला भिण्ड

अ. ए. ए.